# महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

# कार्यवृत्त

## विद्या परिषद् की 53वीं बैठक

दिनांक

10 जून, 2016

स्थान

**बृहस्पति भवन**

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

अजमेर ।

# महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय
# अजमेर

## विद्या परिषद् की 53वीं बैठक
## कार्यवृत्त (Minutes)

विद्या परिषद् की 53वीं बैठक दिनांक 10 जून, 2016 को अपराह्न 3.00 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रो. कैलाश सोडाणी<br>कुलपति,<br>महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर | अध्यक्ष |
| 2. | प्रो. एस. पालरिया<br>विभागाध्यक्ष, रिमोट सेंसिंग एण्ड जियोइन्फोरमेटिक्स विभाग,<br>म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर | सदस्य |
| 3. | प्रो. लक्ष्मी ठाकुर,<br>विभागाध्यक्ष-जनसंख्या अध्ययन विभाग,<br>म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर | सदस्य |
| 4. | प्रो. मनोज कुमार,<br>संकायाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन संकाय एवं<br>विभागाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन विभाग,<br>म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर | सदस्य |
| 5. | प्रो. जी.के.कोहली,<br>संकायाध्यक्ष-स्नातकोत्तर अध्ययन एवं<br>विभागाध्यक्ष-खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग,<br>म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर | सदस्य |
| 6. | प्रो. बी.पी. सारस्वत,<br>संकायाध्यक्ष-वाणिज्य संकाय एवं<br>विभागाध्यक्ष-वाणिज्य विभाग,<br>म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर | सदस्य |
| 7. | प्रो. सतीश अग्रवाल,<br>संकायाध्यक्ष-महाविद्यालय,<br>म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर | सदस्य |
| 8. | प्रो. रीटा मेहरा,<br>विभागाध्यक्ष-शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र विभाग,<br>म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर | सदस्य |
| 9. | प्रो. नीरज भार्गव,<br>विभागाध्यक्ष- कम्प्यूटर साईंस विभाग,<br>म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर | सदस्य |
| 10. | प्रो. आशीष भटनागर,<br>विभागाध्यक्ष- सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग,<br>म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर | सदस्य |

11. प्रो. शिव दयाल सिंह, सदस्य
विभागाध्यक्ष-अर्थशास्त्र विभाग,
म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

12. प्रो. प्रवीण माथुर, सदस्य
संकायाध्यक्ष-छात्र कल्याण,
विभागाध्यक्ष- पर्यावरण विज्ञान
म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

13. डॉ. वी. के. कांकरिया, सदस्य
संकायाध्यक्ष- शिक्षा संकाय
प्राचार्य,
क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, अजमेर

14. प्रो. बी.एल. चौधरी, सदस्य
अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,
अजमेर

15. प्रो. गोविन्द पारीक, सदस्य
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर

16. श्री दीपक राज महरोत्रा, सदस्य
प्राचार्य,
सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर

17. कुलसचिव सदस्य-सचिव
म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

**निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेः-**

18. आयुक्त, सदस्य
महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार,
जयपुर

19. प्रो. जी सोरल, सदस्य
मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय,
उदयपुर

सर्व प्रथम माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद् के सभी सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् विद्या परिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया।

| मद | विवरण | अनुभाग/विभाग |
|---|---|---|
| **मद सं. 1** | विद्या परिषद् की दिनांक 31.08.15 को सम्पन्न हुई 52वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना।<br>उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्र.एफ. 13(52) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2015/31659-77 दिनांक 12.09.15 को प्रेषित की गई। | **शैक्षणिक-I** |
| **निर्णय** | **पुष्टि की गई।** | |

<table>
<tr><td>मद सं 2</td><td>डॉ. रेनू बापना, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प.9(1)शिक्षा-4/2015 दिनांक 15.07.15 के साथ संलग्न नन्दनी माथुर, अंग्रेजी की व्याख्याता, राजकीय कन्या महाविद्यालय, सरवाड़ (जिला-अजमेर) ने अपने पत्र क्रमांक डी-4582 दिनांक 19.06.2005 के द्वारा अनुरोध किया है कि अभ्यर्थी, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा स्नातक स्तर पर चलाये जा रहे अनिवार्य विषय हिन्दी या अंग्रेजी में से एक विकल्प ले सकता है। अधिकतर विद्यार्थी हिन्दी विषय चुनते है जबकि अंग्रेजी हर क्षेत्र में जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होती है। इससे छात्र में व्यक्तित्व का विकास होता है। अतः उक्त स्तर पर अंग्रेजी विषय को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने पर विचार करना। (कार्यसूची का परिशिष्ठ-1)</td><td>शैक्षणिक- I</td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>सत्र 2017-18 से स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में हिन्दी एवं अँग्रेजी दोनों अनिवार्य विषय के रूप में पढाए जाएँगे तथा वर्तमान में स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में पढाए जा रहे अनिवार्य विषय पर्यावरण विज्ञान को द्वितीय वर्ष में पढ़ाया जाने का निर्णय किया गया।</td><td></td></tr>
<tr><td>मद सं 3</td><td>डॉ. (श्रीमती) पंकज मित्तल, अवर सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र क्रमांक मि.सं. 16-1/2008 (राजभाषा) 28 जनवरी, 2016, माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 28 जुलाई, 2011 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर कार्यवाही करने के संदर्भ में प्राप्त हुआ है। केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक के कार्यवृत्त का ब्यौरा निम्नवत् है:-
<table>
<tr><th>कार्यवृत्त की मद सं.</th><th>प्रश्न</th></tr>
<tr><td>3 ख (iv)</td><td>विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों को हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनो मुख्य विषय के रूप में पढ़ाई जाये।</td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>मद सं.2 के निर्णय के अनुरूप।</td></tr>
<tr><td>3 ख (vi)</td><td>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मौजूदा आदेशों के अनुरूप स्नातक स्तर पर विधि एवं वाणिज्य विषयों में अंग्रेजी को एक विषय के रूप में पढ़ाना अनिवार्य है। विषयों के विकल्प इस प्रकार दिए जाते है कि हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों का अध्ययन अनुमन्य (Permissible) नहीं है। इन पाठ्यक्रमों में हिन्दी को भी पढ़ाया जाना चाहिए।</td></tr>
</table>
अतः उक्त पत्र विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। (कार्यसूची का परिशिष्ठ-2)</td><td>शैक्षणिक- I</td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>मद सं.2 के अनुरूप।</td><td></td></tr>
<tr><td>मद सं 4</td><td>सत्र 2015-16 में विज्ञान संकाय के लगभग 5 पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। एम.एससी के कुछ पाठ्यक्रमों में ड्यू पेपर के संबंध में प्रावधान दिये गये है जबकि कुछ पाठ्यक्रमों में ड्यू पेपर के संबंध में प्रावधान अंकित नहीं है। माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रो.के.सी. शर्मा द्वारा ली गयी सलाह के अनुसार एक ही संकाय में अलग-अलग पाठ्यक्रमों के लिए</td><td>शैक्षणिक-I</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | सेमेस्टर स्कीम एक ही होनी चाहिए एवं सेमेस्टर स्कीम में विद्यार्थी को ड्यू पेपर पास करने हेतु दो वर्ष और दिये जाने चाहिए। यदि दो वर्ष में भी विद्यार्थी ड्यू पेपर उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसे नियमानुसार प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेना होगा।<br><br>अतः प्रो. के.सी. शर्मा, की विज्ञान संकाय में एक ही सेमेस्टर स्कीम एवं due papers के संदर्भ में दी गयी राय विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। | |
| निर्णय | **सभी संकायाध्यक्षों की एक समिति का गठन किए जाने का निर्णय किया गया, जो विभिन्न संकायों में प्रचलित नियमों/व्यवस्थाओं में एकरूपता रखते हुए अनुशंषाएं आगामी विद्या परिषद की बैठक में प्रस्तुत करेगी।** | |
| मद सं 5 | That in view of the findings and directions of the Hon'ble Rajasthan High Court in S.B. Civil Writ Petition No. 14054/2014 dated 30th January, 2016 an appointment is to be made on the "post of Dean of Science Faculty" in accordance with the provisions of law and not on the basis of a Resolution by the Academic Council.<br><br>Therefore, the Academic Council is requested to deliberate on and consider the appointment of the Dean of Science Faculty and make its recommendations as envisaged in Statute 2 (2) which is reproduced below:-<br><br>" A Dean shall be appointed by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Academic Council subject to the approval of the Board."<br><br>The Hon'ble Court has directed that while undertaking the exercise as above, the candidature of the petitioner Prof. Sarvesh Palaria would also be considered.<br><br>Besides, recommendations on the appointment of Dean of the following faculties may also be considered as envisaged under Statute 2(2).<br><br>(i) Faculty of Social Science<br>(ii) Faculty of Arts<br>(iii) Faculty of Law<br><br>Accordingly, the above matter is presented for deliberations and consideration to the Academic Council. | **शैक्षणिक-I** |
| निर्णय | **माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में संकायाध्यक्ष(Dean)- विज्ञान के अतिरिक्त कला, सामाजिक विज्ञान एवं विधि के संकायाध्यक्षों की नियुक्ति पर अनुशंषा हेतु अनुशंषा प्रपत्र (संलग्न) उपस्थित 16 सदस्यों (माननीय अध्यक्ष के अतिरिक्त) को वितरित किए गए। 14 सदस्यों से लिखित में प्राप्त अनुशंषाओं के आधार पर कुलपति, संकाय अध्यक्षों की विश्वविद्यालय नियमानुसार नियुक्ति हेतु कुलसचिव को निर्देशित करेंगे।**<br><br>**प्रो. सर्वेश पालरिया एवं प्रो. रीटा मेहरा ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए अपनी अनुशंषाऐं अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत नहीं की। उन्होंने, उनके द्वारा दिनांक 10 जून, 2016 को कुलसचिव को प्रेषित पत्र को बैठक का दस्तावेज बनाने का अनुरोध किया जिसे अध्यक्ष महोदय ने अस्वीकार किया।**<br><br>**अध्यक्ष महोदय ने यह भी अवगत कराया कि संकायाध्यक्ष को कोई अतिरिक्त वेतन या भत्ता देय नहीं है और न ही इस पद के लिये कोई सेवा या अन्य शर्तें निर्धारित की गई हैं। साथ ही वि0वि0 के अधिवक्ता की राय है कि संकायाध्यक्षों की नियुक्तियों** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **के संबंध में परिनियम (statute)2(2) को अंसवैधानिक घोषित नहीं किया गया है और वह स्वयं में कानून है।** | |
| **मद सं. 6** | **माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों की पुष्टि करनाः-**<br>**(1) प्रतिवेदन है कि** विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित समस्त पाठ्यक्रमों की वर्ष 2015 में आयोजित परीक्षाओं में उत्तीर्ण रहे विद्यार्थियों एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेश 124 के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 01.06.2015 से 01.07.2016 तक की शोधोपाधियों हेतु शोधार्थियों को प्रदान किये जाने वाले अनन्तिम प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) धारियों को संबंधित संकाय और शीर्षक के अनुसार उपाधि धारण करने की तिथि (ग्रेस-पास) दिनांक 01.07.2016 माननीय कुलपति महोदय के द्वारा निर्धारित की गयी है। माननीय कुलपति महोदय के आदेश पैरा 231/एन दिनांक 17.03.2016 की पुष्टि करना। | **उपाधि** |
| **निर्णय** | **पुष्टि की गई।** | |
| | **(2) प्रतिवेदन है कि** श्री महावीर सिंह डांगी, जनसंख्या अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ने निर्धारित अवधि 5 वर्ष एवं उसके बाद अध्यादेश 124.13(iii) के अनुसार एक वर्ष की विस्तारित अवधि दिनांक 09.09.2015 तक भी शोध ग्रंथ जमा नहीं किये जाने के कारण स्वतः पंजीयन निरस्त किया गया। शोधार्थी के शोध पर्यवेक्षक प्रो. लक्ष्मी ठाकुर ने शोधार्थी के लम्बे अन्तराल से विभाग में उपस्थित नहीं होने का पत्र प्रस्तुत किया, जिसके स्पष्टीकरण में शोधार्थी ने अनुरोध किया है कि पिताजी की अस्वस्थता एवं पत्नि की रूग्णता के कारण विभाग में उपस्थिति कम रही। अतः अपना शोध कार्य सुचारु रुप से पूर्ण करने हेतु निवेदन किया है। छः वर्ष की अवधि समाप्त होने के कारण अध्यादेश 124.13(iii) के आधार पर स्वतः पंजीयन निरस्त के आदेश जारी किये जाने के पश्चात् अभ्यर्थी ने अपनी मानसिक एवं पारिवारिक परिस्थितियां ठीक नहीं होने के कारण पुनः शोध पंजीयन कराने एवं शोध पर्यवेक्षक बदलने का निवेदन किया।<br>चूंकि विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश 124 में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं होने के कारण प्रकरण माननीय कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मानसिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों को मद्दे नजर रखते हुए दिनांक 9.9.2015 को छः वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि से 18 माह का समय बढ़ाये जाने एवं प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष पुष्टि किये जाने के आदेश माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 06/05/2016 को दिये गये। जिसकी अनुपालना में शोध अनुभाग द्वारा श्री महावीर सिंह डांगी को शोध अवधि विस्तार बाबत् पत्रांकःएफ-15(317/09) जन.अ./शोध/मदसविवि/13428, दिनांक 11/05/2016 द्वारा सूचित किया गया **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-3)**<br>अतः माननीय कुलपति महोदय के उक्त आदेश प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है। | **शोध** |
| **निर्णय** | **पुष्टि की गई एवं टंकण त्रुटि के फलस्वरूप मद की 12वीं पंक्ति में अंकित "शोध पर्यवेक्षक बदलने" को विलोपित माना जावे। भविष्य में इसे उदाहरण नहीं माना जावे।** | |
| | **(3) प्रतिवेदन है कि** विश्वविद्यालय में आयोजित की जाने वाली शोध पात्रता परीक्षा को सरल एवं सुगम बनाने हेतु माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 06.06.2016 के अनुसार विश्वविद्यालय अध्यादेश O. 124.7- Research Eligibility Test | **शोध** |

में निम्नांकित कतिपय परिवर्तन सत्र 2016-2017 से प्रभावी मान्य किये गये है:-

O. 124.7- Research Eligibility Test

| S. N. | Existing component of ordinance | Proposed changes |
|---|---|---|
| 01 | **O.124.7 Research Eligibility Test (RET)**<br>**(A)** There shall be an Entrance Test namely **Research Eligibility Test (RET)** comprising of two papers of 100 marks each. The duration of each paper shall be one hour without any gap. Paper I shall be of Research Aptitude and the Paper II shall be from the subject selected by the applicant. A candidate who does not appear in Paper I shall not be allowed to appear in Paper II. Paper I and Paper II shall consist of 50 Multiple Choice Questions. Each question shall carry 2 marks. There will be no negative marking.<br>The questions for the **Paper I** shall be of general nature, intended to assess the research aptitude of the candidate. It will primarily be designed to test reasoning ability, comprehension, divergent thinking, computer skills, elementary statistical methods and general awareness of the candidate.<br>The questions for **Paper II** shall be based on the syllabus of the Post Graduate degree of the Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer in a particular subject selected by the candidate. | There shall be an Entrance Test namely **Research Eligibility Test (RET)** comprising of two papers of 100 marks each. The duration of each paper shall be one hour. Paper I shall be of General Paper on Teaching and Research Aptitude and the Paper II shall be from the subject selected by the applicant. An applicant who does not appear in Paper I shall not be allowed to appear in Paper II. Paper I and Paper II shall consist of 50 Multiple Choice Questions. Each question shall carry 2 marks. There will be no negative marking.<br>**The questions for paper I & II shall be based on the syllabus of National Eligibility Test (NET) of UGC/CSIR in a particular subject selected by the applicant.** |
| 02 | **O. 124.7-E: Criteria for Preparing the Merit List:**<br>The Research Section shall prepare a merit list of the applicants who had submitted application forms duly filled in along with requisite documents in the prescribed time. The criteria for preparation of merit list shall be as under:<br>(i) Marks obtained in RET 60%<br>(ii) Marks obtained in PG 40% | Weightage of percentage of the academic record such as Sr. Secondary, Graduation, Post Graduation, Permanent Faculty (Higher Education.) &Fellowships (UGC/CSIR) shall be as follows:<br>**Qualification** **Weightage**<br>(i) Sr. Secondary 10%<br>(ii)Graduation 20%<br>(iii)Post Graduation 50%<br>(iv) Permanent Faculty (Hr.Edu.)10%<br>(v) Fellowships (UGC/CSIR) 10% |

अतः माननीय कुलपति महोदय के उक्त आदेश प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है।

| | | |
|---|---|---|
| निर्णय | **मद सं.6(3)(1) की पुष्टि की गई। मद सं.6(3)(2) की निम्न संशोधन के साथ पुष्टि की गई :-**<br>(i) Sr. Secondary 10%<br>(ii)Graduation 20%<br>(iii)Post Graduation 40%<br>(iv) Net/Slet 10%<br>(v) Fellowships (UGC/CSIR) 10%<br>(vi) Permanent Faculty (Hr.Edu.)10% | |
| मद सं. 7 | प्राणीशास्त्र अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 06.05.16 की अनुशंषाओं पर विचार करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-4)** | **शैक्षणिक-I** |
| निर्णय | **पाठ्यक्रम अनुमोदित किया गया। परन्तु स्कीम कॉमन रहेगी।** | |
| मद सं 8 | कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 14.05.2016 की अनुशंषाओं पर विचार करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-5)** | **शैक्षणिक-I** |
| निर्णय | **पाठ्यक्रम अनुमोदित किया गया। परन्तु स्कीम कॉमन रहेगी।** | |
| मद सं 9 | शिक्षा पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 08.06.2016 की अनुशंषाओं पर विचार करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-6)** | **शैक्षणिक-I** |
| निर्णय | **पाठ्यक्रम अनुमोदित किया गया।** | |
| मद सं.10 | विद्या परिषद् की 52वीं बैठक दिनांक 31 अगस्त, 2015 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-7)** | **शैक्षणिक-I** |
| निर्णय | **अनुमोदन किया गया।** | |
| मद सं. 11 | प्रो. (डॉ.) जसपाल एस. सन्धू, सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक D.O.No. F-12-1/2015(CPP-II) 15th October, 2015, जो कि **"Guidelines on Determination of a Uniform Span Period within which a Student may be allowed to Qualify for a Degree"** के संबंध में प्राप्त हुआ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उक्त गाईड लाईन को विश्वविद्यालय में लागू करने पर विचार कर निर्णय करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-8)** | **शैक्षणिक-I** |
| निर्णय | **मद संख्या 4 के निर्णयानुसार गठित समिति ही उपरोक्त कार्य सम्पादित करेगी।** | |
| मद सं. 12 | विश्वविद्यालय की स्नातक स्तर की परीक्षाओं की वरियता सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा 2015 से स्वर्ण पदक दिये जाने बाबत् विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है:-<br>**<u>यू.जी. कोर्सेज:-</u>**<br>1. बी.ए.<br>2. बी.कॉम | **परीक्षा** |

| | | |
|---|---|---|
| | 3. बी.एससी.<br>4. बी.ए. (ऑनर्स)<br>5. बी.कॉम (ऑनर्स)<br>6. बी.एससी. (ऑनर्स)<br>7. बी.एससी. (होम साईंस)<br><br>**<u>यू.जी. प्रोफेशनल कोर्स:-</u>**<br><br>1. बी.बी.ए.<br>2. बी.एड़ (दो वर्षीय)<br>3. बी.एड (एक वर्षीय)<br>4. बी.पी.एड.(एक वर्षीय)<br>5. बी.पी.एड.(दो वर्षीय)<br>6. बी.एससी. बी.एड.<br>7. बी.सी.ए.<br>8. बी.एससी (बायोटेक)<br>9. बी.एससी (कम्प्यूटर साईंस)<br>10. बी.एससी (इन्फो. टैक्नो.)<br>11. एल.एल.बी.(प्रोफेशनल)<br>12. एल.एल.बी. (एकेडमिक)<br>13. बी.एससी. (नेचु. योगिक साईंस)<br>14. बी.एससी.(फूड एण्ड न्यू.)<br><br>उक्त क्रम में लेख है कि विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार अब तक विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक परीक्षाओं में स्वर्ण पदक प्रदान नहीं किये जाते हैं। अतः निर्णय उपरान्त अध्यादेश/नियम में भी परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है। | |
| **निर्णय** | **विद्या परिषद की आगामी बैठक में पूर्ण एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।** | |

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति 11/6/16

कुलसचिव

मद सं. 5 कार्यवृत्त का संलग्नक

# Maharshi Dayanand Saraswati University
# Ajmer

## 53rd Meeting of Academic Council
## dated 10 June, 2016

Agenda Item No.5

Recommendations of the appointment of the Dean

of following faculties under Statute 2(2)

| **Nomenclature** | **Recommendation of name** |
|---|---|
| Dean, Faculty of Science | |
| Dean, Faculty of Arts | |
| Dean, Faculty of Social Science | |
| Dean, Faculty of Law | |

Signature.....

Name .....